अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 135/2023

07
22.01.2024

राज्य

बनाम

जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची ..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1527/डी०सी०बी० दिनांक 23.11.2023 द्वारा सक्रिय जमीन माफिया जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बद्र/निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. अनुसूचित जाति/जन–जाति थाना कांड संख्या 79/22 दिनांक 12.11.2022 धारा 341/323/307/420/467/468/471 भा०द०वि० एवं 3 (1)(S)(G)(R) SC/ST (P.A.) Act
2. अनुसूचित जाति/जन–जाति थाना कांड संख्या 23/23 दिनांक 05.05.2023 धारा 341/323/307/354/354(बी०)/420/467/468/471/504/506/34/120बी० भा०द०वि० एवं 3(1)(S)(R) SC/ST (P.A.) Act
3. कोतवाली थाना कांड संख्या 317/18 दिनांक 20.12.2018 धारा–420/406/323/504/506 भा0द0वि0
4. सदर थाना सन्हा सं० 29/23 दिनांक 04.11.2023

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5. सदर थाना सन्हा सं० 29/23 दिनांक 05.11.20233

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, सदर, रॉची के कार्यालय का ज्ञापांक–2183/23. दिनांक–08.11.2023 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया है कि जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची एक सक्रिय एवं दबंग भू–माफिया है। जमीन में विवाद करने के लिए बड़गाँई के आदिवासियो से मिलकर जमीन में फर्जी बंशावली खड़ाकर करके विवाद करते हैं। ये बिक्री किया हुआ जमीन को जान बुझकर विवाद उत्पन्न करते है तथा विवाद खत्म करने का भयदोहन करते है। मारपीट कर माहौल को अस्थिर करने में हमेशा आमदा रहते है जो समाज के लिए खतरनाक है तथा गवाहो को अपने विरूद्ध गवाही देने पर बुरा अंजाम देने की धमकी देते है। वर्तमान में अन्य कांडो में माननीय न्यायालय से जमानत में मुक्त है। इनकी अपराधिक गतिविधियो से आम जनता में आतंक एवं दहशत है। विपक्षी के अपराधिक घटनाओं में शामिल देखने के बावजूद भी संबंधित कांडो के पीड़ित, गवाह एवं अन्य लोग विषयांकित अपराधी को नामजद करते हुए प्राथमिकी अंकित कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नही होते हैं। फलस्वरूप कई अपराधिक घटनाओ में शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित कांडो में इसका अभियुक्तिकरण नहीं हो पाया है। इनके द्वारा बिक्री हुआ जमीन को धोखाधड़ी करके बिक्री करते है। फर्जी वंशावली खड़ा करके हमेशा विवाद उत्पन करते है। इसकी अपराधिक गतिविधियो से आम जनता में भय, दहशत एवं आंतक व्याप्त हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे जिला बदर/निर्वासन संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

नोटिस प्राप्ति के उपरान्त विपक्षी प्रस्तुत वाद मे उपस्थित हुए,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

परन्तु प्रर्याप्त समय प्रदान किये जाने के बावजुद उनके द्वारा इस वाद मे कारण पृच्छा दायर नही किया गया। आज पुकार पर भी विपक्षी अनुपस्थित पाये गये। उनकी ओर से न तो कारण पृच्छा समर्पित किया गया ना ही उनकी ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित ही हुए।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक एक दबंग भू–माफिया एवं असमाजिक तत्व है। ये जमीन में विवाद करने के लिए बड़गाँई के आदिवासियो से मिलकर जमीन में फर्जी बंशावली खड़ाकर करके विवाद करते हैं तथा बिक्री किया हुआ जमीन को जान बुझकर विवाद उत्पन्न करता है तथा विवाद खत्म करने का भयदोहन करते है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची को इस जिले से निर्वासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(a)(b)(i)(ii) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाई, थाना सदर जिला राँची को दिनांक 30.01.2024 से अगले छः माह अर्थात दिनांक 29.04.2024 तक की अवधि के लिए इस जिले से निर्वासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (1) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, सदर थाना के समक्ष रू० 25,000/– का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 29.01.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 30.01.2024 से अगले छः माह तक अर्थात दिनांक 29.04.2024 तक रॉची जिला मे प्रवेश नही करेगे। उक्त आदेश का पालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झाखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति जमील अंसारी पिता अब्दुल वहाब अंसारी, निवासी बड़गाँई, थाना सदर जिला राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:29:05 -08:00
Location: 192.168.1.4